प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 08.11.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 773/26 धारा 115(2)/352/351(2)/109(1)/3(5) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।



संक्षिप्त विवरण

दिनांक 06.11.2026 को वादी साजिद पुत्र अली हसन निवासी माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों जोगिन्दर बली, प्रशान्त व 01 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी के भाई दिलशाद के साथ गाली गलौज कर मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से लोहे की रॉड से वादी के भाई के सिर पर वार किया व जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 773/26 धारा 115(2)/352/351(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 773/26 धारा 115(2)/352/351(2) /109(1)3(5) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- जोगिन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

अभियुक्त जोगिन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 489/2015 धारा 147,148,149,302,34 भादवि थाना बागपत
2- मु0अ0सं0 19/2017 धारा 307 भादवि थाना बागपत
3- मु0अ0सं0 1482/2018 धारा 147,148,149,302,34, 120(बी) भादवि थाना बागपत
4- मु0अ0सं0 31/2024 धारा 307 भादवि पुलिस मुठभेढ व धारा 3/25/27 A. Act थाना बागपत
5-मु0अ0सं0 770/2025 धारा 109(1),333,351(2),352,61(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/25/27 A. Act थाना बागपत
6- मु0अ0सं0 11/2005 धारा 392,402 भादवि व 25/27/54/59A थाना निजामुद्दीन दिल्ली
7- मु0अ0सं0 30/2004 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बागपत
8- मु0अ0सं0 71/2004 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बागपत
9- मु0अ0सं0 20/2004 धारा 302 भादवि थाना बागपत
10- मु0अ0सं0 495/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बागपत
11- मु0अ0सं0 208/2000 धारा 395,397 भादवि थाना एम0एस0 पार्क दिल्ली
12- मु0अ0सं0 248/2000 धारा 395,397 भादवि थाना एम0एस0 पार्क दिल्ली
13-मु0अ0सं0 254/2000 धारा 395,397,412,342 भादवि थाना एम0एस0 पार्क दिल्ली
14- मु0अ0सं0 210/2001 धारा 302 भादवि एक्ट थाना खेडा दिल्ली
15- मु0अ0सं0 310/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना वेलकम दिल्ली
16- मु0अ0सं0 439/2001 धारा 2/3 गैंगस्ट एक्ट थाना बागपत
17- मु0अ0सं0 230/2001 धारा ¾ गुण्डा एक्ट थाना बागपत
18- मु0अ0सं0 387/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बागपत

19- मु0अ0सं0 254/2000 धारा 395,397 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बागपत

20- मु0अ0सं0 242/2003 धारा 395,342,412 भादवि थाना बागपत

21- मु0अ0सं0 231/2003 धारा 3 /4 गुंडा अधि0 थाना बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 151 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 08.11.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 392/26 धारा 333/74/351(3) बीएनएस व 9M/10 एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.11.2026 को वादिया ने थाना खेकड़ा पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त कुलदीप उर्फ गुल्लू पुत्र वेद सिंह निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया की पुत्री के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेडछाड़ की गई व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर



थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 392/26 धारा- 333/74/351(3) बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एक्ट, पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 392/26 धारा 333/74/351(3) बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-कुलदीप उर्फ गुल्लू पुत्र वेद सिंह निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 मयंक प्रताप सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-है0का0 396 नितेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-का0 724 कुशलपाल थाना खेकडा जनपद बागपत।